राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : एफ.6(1)वित्त 1(1) आय–व्ययक/2018 जयपुर, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष

विषय :– व्यय एवं प्राप्तियों का अंक मिलान (**Reconciliation**) ORS Module पर ही करने के सम्बन्ध में।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, खण्ड–I के भाग –I के नियम 11(3) एवं बजट मैन्युअल खण्ड–I के अध्याय 21 में व्यय तथा अध्याय 26 में प्राप्तियों के अंक मिलान बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

वित्त विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.02.2024 द्वारा महालेखाकार की पुस्तकों से आय व व्यय के आंकड़ों का नियमित रूप से अंक मिलान कराये जाने हेतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य (Online Reconcilation through IFMS) में समय सारणी निर्धारित करते हुए सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को अंकमिलान कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। वर्तमान में अंकमिलान का कार्य ORS Module के साथ–साथ महालेखाकार कार्यालय द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों को आंकड़े ई–मेल पर उपलब्ध करवाये जाकर भी किया जा रहा है।

माह दिसम्बर, 2024 से आय–व्यय के आंकडे केवल ORS Module पर ही उपलब्ध रहेंगे, महालेखाकार कार्यालय द्वारा आंकडे ई–मेल पर उपलब्ध नहीं करवाये जायेगें।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों /बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नियंत्रणाधीन व्यय तथा प्राप्तियों से संबंधित समस्त बजट मदों का अंकमिलान महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा https://ors.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाये गये आंकड़ों से निर्धारित समय सारणी तथा वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.05.2022 द्वारा ऑनलाईन अंकमिलान (Online Reconcilation) की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

3.2.25

(देबाशीष पृष्टी)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट)

Room No. 5124, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www. finance.rajasthan.gov.inE-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव को अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित कराने के अनुरोध के साथ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

Room No. 5124, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www. finance.rajasthan.gov.inE-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in